**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**28.12.2018 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1906 का उत्तर**

**दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेल की पटरियों के साथ-साथ**

**चारदीवारी को ऊंचा उठाया जाना**

**1906. श्री सुशील कुमार गुप्ताः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार की लोगों को अवैध तरीके से रेल लाइनें पार करने से रोकने और रेलगाड़ी की पटरियों के किनारे दुर्घटना-प्रवण स्थानों पर चारदीवारी को ऊंचा उठाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मंत्रालय की, इस संबंध में, नियमित आधार पर जागरूकता अभियान चलाने की कोई योजना है?

**उत्तर**

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

(क) और (ख): जी हां। इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) को प्रभार्य 650 करोड़ रु. लागत के दो कार्य स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान इनके लिए 200 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है।

(ग): जी हां। भारतीय रेलों पर जागरूकता अभियान चलाना एक नियमित प्रक्रिया है। जागरूकता अभियानों का ब्यौरा इस प्रकार हैः-

1. रेलवे ट्रैकों को क्रॉस करने, फुट बोर्ड/रूफ टॉप पर यात्रा करने, चलती गाड़ियों में चढ़ने/उतरने से होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में यात्रियों को जागरूक करने के लिए रेलों द्वारा विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जाते है।
2. रेलों पर अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए पोस्टरों, बैनरों, समाचार पत्रों में, नोटिसों और रेडियो/एफएम आदि जैसी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से आम-जनता में जागरुकता का प्रसार किया जाता है।
3. रेलवे स्टेशनों पर जन-उद्दघोषणा प्रणाली के माध्यम से यात्रियों से फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का इस्तेमाल करने और रेलवे ट्रैकों को क्रॉस न करने का अनुरोध किया जाता है।
4. नुक्कड़ नाटक/स्ट्रीट प्ले, ग्राम पंचायतों के साथ बैठकों का आयोजन किया जाता है तथा ट्रैक के आस-पास के स्कूलों के साथ संपर्क किया जाता है।
5. अनधिकृत प्रवेश, फुट बोर्ड, सीढ़ियों, गाड़ियों की छत पर यात्रा करने तथा चलती गाड़ियों में चढ़ने/उतरने के विरूद्ध नियमित तौर पर अभियान चलाए जाते हैं तथा ऐसा करते हुए पकड़े जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध रेलवे अधिनियम, 1989 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाता है।
6. अनधिकृत प्रवेश के लिए भेद्य स्थलों पर रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों को तैनात किया जाता है।
7. यात्रियों को जागरुक करने के लिए सहज दृश्य स्थलों पर चेतावनी के साइन बोर्ड लगाए जाते हैं।
8. रेलवे ट्रैक सहित रेलवे परिसरों में अप्राधिकृत प्रवेश करना, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। भारतीय रेलों पर अनधिकृत प्रवेश के लिए चालू वर्ष के दौरान अक्टूबर, 2018 तक कुल 131770 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है।

\*\*\*\*\*\*